भाग एक: खण्ड इक्कीस

म.प्र. वृक्षों की परिरक्षा (नगरीय क्षेत्र) नियम, 2001*

अधिसूचना क्र. एफ-30-4-2001-दस-3 दिनांक 11 अप्रैल, 2002 - मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 20 सन् 2001) की धारा 24 द्वारा प्रद्त्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, मध्यप्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में वृक्षों के परिरक्षण तथा पुनः वृक्षारोपण के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

नियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) नियम, 2002** है।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा।

(3) ये नियम, ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा।

(3) ये नियम, ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इनके प्रकाशन की तारीख से राज्य के समस्त नगरीय क्षेत्रों में लागू होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों, में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 20 सन् 2001);

(ख) ''वन अधिनियम'' से अभिप्रेत है भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16);

(ग) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(घ) ''अभिवहन नियम'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000

3. अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के लिये प्रक्रिया - (1) किसी वृक्ष (वृक्षों) को काटकर गिराने, हटाने, जड़ से उखाड़ने या तने को जड़ से पृथक करने या किन्हीं भी साधनों से उसके व्ययन की वांछा करने वाला कोई भी व्यक्ति संबंधित नगरीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले वृक्ष अधिकारी को प्रारूप - एक में, प्रति आवेदन रुपये 100/- प्रोसेसिंग फीस के साथ आवेदन करेगा। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होंगे –

---

* म.प्र. रापजत्र भाग 4(ग) दिनाक 19 अप्रैल, 2002 (पृष्ठ 49-54) पर प्रकाशित।

**अधिसूचना क्र. 38-एफ-1-52-03-अठारह-3 दिनाक 19 अगस्त 2003 (म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 19 अगस्त 2003 पृष्ठ 869)

(क) उस भूमि के ब्यौरे, जहां वृक्ष खड़ा है (खसरा क्रमांक, प्लाट क्रमांक, वार्ड क्रमांक आदि स्थान के मानचित्र के साथ);

(ख) भूमि के स्वामित्व का सबूत या पट्टा दस्तावेज अथवा कोई अन्य दस्तावेज, जिससे यह साबित हो सके कि आवेदक ने प्रश्नाधीन भूमि में स्वामित्व संबंधि अधिकार प्राप्त कर लिया है;

(ग) वृक्ष (वृक्षों) के ब्यौरे-जाति, ऊँचाई, आधारित भाग पर गोलाई, वृक्ष की दशा- (स्वस्थ, रोगग्रस्त, मृतप्राय, मृत नुकसानग्रस्त, हवा से उखड़ा हुआ, घिसन किया हुआ अथवा किसी अन्य विशिष्टता के साथ)।

(2) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन दी गई अनुज्ञा इस शर्त के अध्यधीन होगी कि आवेदक उसी स्थल पर या परिसर पर, उसी जाति या अन्य उपयुक्त जातियों का दूसरा वृक्ष या वृक्षों को लगाएगा और यहां यह संभव नहीं हो, वहां वह उस तारीख से, जिसको वृक्ष काटकर गिराया गया हो, 30 (तीस) दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई कालावधि के भीतर, जैसा कि वृक्ष अधिकारी अनुज्ञात करे, रुपये 500/- प्रति वृक्ष नगद अबिदाय करेगा।

4. धारा 10 के अधीन अभिगृहीत संपत्ति को निर्मुक्त करने की शक्ति - यदि भूमि का स्वामी, प्रारूप-दो में बंधपत्र (बांड) निष्पादित करता है तो वृक्ष अधिकारी, जब भी अपेक्षित हो अभिगृहित वस्तु को पेश करने के लिए अभिगृहित संपत्ति को निर्मुक्त कर सकेगा।

5. अधिहरण की गई संपत्ति का व्ययन - वृक्ष अधिकारी, अधिहरण की गई सम्पत्ति के व्ययन के लिए अधिकारिता रखने वाले प्रथम श्रेणी मजिस्टे्रट को आवेदन करेगा। आवेदन में अधिहरण की गई सम्पत्ति के ब्यौरे तथा अधिहरण का आदेश अंतर्विष्ट होगा।

6. अपराध शमन करने की शक्ति - यदि अपराधी, अपराध का शमन करने के लिए लिखित में सहमत हो जाताहै और वृक्ष अधिकारी का भी यह समाधान हो जाता है कि न्यायालय में चालान के लिये मामला ठीक नहीं है तो वह उस अपराध के संबंध में, जिसे ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाने का संदेह हो, ऐसी शास्ति अधिरोपित करने, जो रु. 5000/- प्रति वृक्ष्ज्ञ से अधिक न हो, अपराध का शमन कर सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त, उपज का मूल्य भी वसूल किया जाएगा और अभिगृहित सम्पत्ति तथा व्यक्ति, यदि अभिरक्ष्ज्ञा में हैं, निर्मुक्त किए जाएंगे।

[1][7. वसूली की गई रकम को जमा करने का ढंग - इस नियम के अधीन वसूल की गई कोई रकम नगरीय क्षेत्र में स्थापित यथास्थिति, नगर पालिक निगम या नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत के कोष में जमा की जाएगी।]

प्रारूप - एक

(अधिनियम की धारा 6(1) देखिए)

वृक्षों को काटकर गिराने कीक अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप (आवेदन दो प्रतियां में स्वयं प्रस्तुत करें)

रजिस्ट्रीकृत

प्रति,

वृक्ष अधिकारी,

नगरीय क्षेत्र............

---

1. म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 19 अगस्त, 2003 (पृष्ठ 869) द्वारा अन्तःस्थापित।

जिला................

मध्यप्रदेश,

विषयः - .... नगरीय क्षेत्र में वृक्ष (वृक्षों) को काटकर गिराने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन।

महोदय,

मैं .... (आवेदक का नाम) आयु............. वर्ष............ निवासी.............. (पता) .... मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 की धारा 6(1) के उपबंधों के अधीन ऊपर वर्णित स्थल पर वृक्ष (वृक्षों) को काटकर गिराने के लिए एतद्द्वारा, आवेदन प्रस्तुत करता हूं। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

1. आवेदक का नाम :.............................
2. पिता/पति का नाम :..............................
3. आवेदक का पता :...............................
4. टेलीफोन :...............................
5. ई-मेल यदि हो :...............................
6. उस वृक्ष (वृक्षों की अवस्थिति, जिनका काटकर गिराया जाना अपेक्षित है।

मकान/प्लाट क्रमांकः.........................

कालोनीः ....

मार्गः..
.

खसरा क्रमांकः.................................

पटवारी हल्का क्रमांकः......................

नगर पालिका, वार्ड क्रमांकः.................

जिलाः...
.

7. वृक्ष (वृक्षों) का ब्यौरा :....................................

(क) वृक्षों की संख्या गोलाई सहित :.....................................

(ख) जाति :....................................

(ग) वृक्ष (वृक्षों) की दशा कथित करें (क्या वृक्ष मृत, मरणासत्र, रोगग्रस्त, मृतप्राय, टूटे हुए, बिजली से प्रभावित हवा से उखड़े, हुए, जड़ से उखड़े हुए अस्वस्थ, अर्द्ध स्वस्थ, स्वस्थ आदि हैं)

8. उन कारणों को ब्यौरेवार कथित करें, :......................................

जिनसे आवेदक वृक्ष (वृक्षों) को काटकर गिराना चाहता है:

9. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि के ब्यौरे -

(क) स्थल की अवस्थिति :....................................

(मकान/प्लाट क्रमांक, मार्ग, कालोनी,

राजस्व निरीक्षक वृत्त (सर्किल क्र.,

पटवारी हल्का क्र. तहसील, जिला एवं वार्ड)

(ख) रोपण हेतु उपलब्ध क्षेत्र :.....................................

(ग) भूमि का नक्शा संलग्न करें :.....................................

(घ) यदि आवेदक भूमिस्वामी न हो :.....................................

तो भूमि-स्वामी की लिखित सहमति संलग्न करें

10. भूमि के स्वामित्व की प्रकृति :.....................................

(भूमिस्वामी पट्टा, लीज, अभिधृति आदि)

11. यदि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि :................................
उपलब्ध नहीं है तो आवेदक की
रु. 500/- प्रति वृक्ष अभिदाय करने हेतु रजामंदी

12. आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेज :............................
विनिर्दिष्ट करें:

(क) .... (ख) ....

(ग) .... (घ) ....

(ङ) .... (च) ....

13. फीस के भुगतान के ब्यौरे : क्रमांक ....
(रसीद, डिमांड ड्राफ्ट, चालान आदि संलग्न करें) बैंक/कोषालय ....
राशि रुपये...............................

वचनबंध

मैं .... पुत्र/पत्नी.............. आयु .... वर्ष स्थायी निवासी .... एतदद्वारा शपथ लेता हूं कि इस आवेदन-पत्र में दी गई विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य है तथा उसमें किसी भी बात को छिपाया नहीं गया है और न ही विकृत कर प्रस्तुत किया गया है।

मैं यह और पुष्टि करता हूं कि मैं क्षतिपूरक वृक्षारोपण करूंगा तथा उसका अनुरक्षण करूंगा, जैसा कि वृक्ष अधिकारी द्वारा मुझे अनुज्ञा प्रदान करते समय बताया गया है।

अथवा

मैं यह पुष्टि करता हूं कि वृक्ष अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार रुपये .... का अभिदाय क्षतिपूरक वृक्षारोपयण हेतु करूंगा।

हस्ताक्षर...............................

आवेदक का नाम....................

पता ....

कार्यालय उपयोग हेतु

1. मामला क्रमांक :...

2. प्राप्ति की तारीख तथा समय :...

3. आवेदक को जारी की गई अभिस्वीकृति क्रमांकः ....

4. सहायक वृक्ष अधिकारी/वार्ड अधिकारी को जांच हेतु भेजा गयाः...................

5. जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने की तारीखः...

6. वृक्ष अधिकारी का विनिश्चयः...

7. आदेश की तारीख एवं जावक क्रमांकः...

(अनुभाग प्रभारी)

प्रारूप-दो

(नियम 4 देखिए)

प्रतिभूमि बंधपत्र

मैं .... (नाम) पुत्र श्री .... आयु............... वर्ष, स्थायी निवासी............ एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि (सम्पत्ति के ब्यौरे) .... मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001 की धारा 10 के उपबंधों के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा अभिगृहीत की गई है। मैं .... प्रश्नाधीन भूमि का स्वामी हूं और मैंने वृक्ष अधिकारी से उपरोक्त संपत्ति का कब्जा ले लिया है और मैं अभिगृहीत की जंगम संपत्ति को अनुसंधान अधिकारी/न्यायालय के समक्ष, जब बी अपेक्षित हो, पेश करने के लिए एतद्द्वारा अप्रतिसंहरणीय बंधपत्र प्रस्तुत करता हूं।

(अभिसाक्षी)

सत्यापन

मैं .... (नाम) पुत्र श्री .... आयु.......... वर्ष, स्थानीय निवासी .... एतद्द्वारा सत्यापित करता हूं कि इस बंधपत्र की अंतर्वस्तुएं मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं ज्ञान के अनुसार सत्य हैं तथा कोई भी बात बंध पत्र में छिपाई नहीं गई है, मैं पुनः सत्यापित करता हूं कि मैं इस बंध-पत्र की शर्तों से आबद्ध हूं।

टिप्पणी - स्टाम्प अधिनियम के उपबंधों के अनुसार स्टाम्प पेपरों पर निष्पादित किया जाना है तथा इसका सत्यापन नोटरी पब्लिक/शपथ आयुक्त द्वारा किया जाना है।